

## (क) वार्षिक शैक्षिक सहायता योजना

(दरें वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु संशोधित )

टाटा ट्रस्ट, मुम्बई द्वारा वर्ष 2018-19 से आगामी तीन वर्षों तक उक्त योजना के अन्तर्गत उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को आर्थिक अनुदान दिए जाने का निर्णय के फलस्वरूप माननीय श्री राज्यपाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निम्नवत् आर्थिक सहायता की राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

क्रम सं०	कक्षा स्तर	पूर्व निर्धारित धनराशि (28 जुलाई 2020) (रु०)	बढ़ाई गयी धनराशि (रु०)
1	कक्षा 9-10	5,000/-	<b>6,500/-</b>
2	कक्षा 11-12	6,000/-	<b>7,500/-</b>
3	स्नातक स्तर	7,000/-	<b>8,500/-</b>
4	स्नातकोत्तर स्तर	9,000/-	<b>11,000/-</b>
5	इण्टर स्तर तक के तकनीकी कोर्स	10,000/-	<b>13,000/-</b>
6	स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी कोर्स	25,000/-	<b>30,000/-</b>

(ख) **NDA/IMA/OTA/AF Academy/Naval Academy/ Women Entry** में उत्तीर्ण होने वाले उत्तर प्रदेश के जे०सी०ओ० रैंक तक के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के आश्रितों को आर्थिक सहायता - रु० 50,000/- से बढ़ाकर रु० 1,00,000/-